रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17082023-248144
CG-DL-W-17082023-248144

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अगस्त 6—अगस्त 12, 2023, शनिवार/श्रावण 15—श्रावण 21, 1945
No. 32] NEW DELHI, AUGUST 6—AUGUST 12, 2023, SATURDAY/SHRAVANA 15—SHRAVANA 21, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2023

का.आ. 1277.—केन्द्र सरकार, एतद द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार की अधिसूचना सं. 9/सी. बी.आई-80-06/2022(एच.पी)3768, गृह विभाग (पुलिस शाखा) दिनांक 23.03.2023 के माध्यम से जारी सम्मति से बालिका गृह, साहू रोड, मुजफ्फरपुर की एक कैदी सुश्री रानी कुमारी उर्फ पुष्पा कुमारी के लापता होने के मामले से संबंधित बालिका गृह, साहू रोड, मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर आश्रय गृह) के अज्ञात अधिकारियों और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 120बी एवं 363 के तहत दण्डनीय अपराध(धों) का अन्वेषण करने के लिए तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त बिहार राज्य में करती है।।

[फा. सं. 228/34/2018-एवीडी-II]
संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel And Training)

New Delhi, the 18th July, 2023

S.O. 1277.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Bihar issued vide Notification No. 9/C.B.I-80-06/2022(H.P)3768/Home Department (Police Branch) dated 23.03.2023, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Bihar for investigation into the offence(s) under section 363 and section 120B of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) pertaining to the matter of missing of Ms. Rani Kumari @ Pushpa Kumari, an inmate of Balika Grih, Sahu Road, Muzaffarpur against unknown officials of Balika Grih, Sahu Road, Muzaffarpur (Muzaffarpur Shelter Home) and unknown others and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/34/2018-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2023

का.आ. 1278.—केन्द्र सरकार एतद् द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उपधारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एच-12/1/(4)/2023-एच(सीबीआई), दिनांक 26.07.2023, गृह विभाग, इम्फाल, के माध्यम से जारी सम्मति से, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 153ए/398/427/436/448/302/354/364/326/376/34 & भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी में जोड़े गए 25(1-सी) ए. अधिनियम तथा एससी&एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 की धाराएँ 3(1)डी, 3(1)ई, 3(1)जी, 3(1)डब्ल्यू(i), 3(1)जेड, 3(2)(iii), 3(2)(iv) & 3(2)(v) के तहत दर्ज प्राथमिकी सं. 110(6)2023 एनएसके-पीएस और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 153ए/398/427/436/448/302/354/364/326/376/34 & 25(1-सी) ए. अधिनियम के तहत दर्ज जीरो प्राथमिकी (91)(5)2023 एसकेएल-पीएस का अन्वेषण करने तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त मणिपुर राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/47/2023-एवीडी-II]

राजीव कुमार खरे, अवर सचिव

New Delhi, the 28th July, 2023

S.O. 1278.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Manipur, issued vide Notification No. 12/1(4)/2023-H(CBI) dated 26.07.2023, Home Department, Imphal, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Manipur for investigation of FIR No. 110(6)2023 NSK-PS U/S 153A/398/427/436/448/302/354/364/326/376/34 IPC & 25(1-C) A. Act added U/s 376-D IPC & Section 3(1)d, 3(1)e, 3(1)g, 3(1)w(i), 3(1)z, 3(2)(iii), 3(2)(iv) & 3(2)(v) of SC&ST (PoA) Act, 1989 and its Corresponding ZERO (91)(5)2023 SKL-PS U/s 153A/398/427/436/448/302/354/364/326/376/34 IPC & 25(1-C) A. Act and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/47/2023-AVD-II]

RAJEEV KUMAR KHARE, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2023

का.आ. 1279.—केन्द्र सरकार, एतद् द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ.19(29)गृह-5/2023 दिनांक 15.06.2023, गृह (गृ.-v) विभाग, जयपुर के माध्यम से जारी सम्मति से, मैसर्स विनायक लॉजिस्टिक्स, गुवाहाटी, इसके मालिक श्री प्रवेश काबरा, मैसर्स विनायक लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, इसके निदेशक श्री प्रवेश काबरा, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य द्वारा भारतीय रेलवे के माध्यम से फिटकरी पाउडर की आड़ में मार्बल पाउडर की लोडिंग और परिवहन से भारतीय रेलवे को सदोष हानि पहुंचाने के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 120बी सपठित धारा 420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (2018 के अधिनियम 16 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 7 एवं रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 163 सपठित धारा 66 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित, सीबीआई, भ्र.नि.शाखा, जयपुर में दर्ज पीईजेएआई2022ए0004 से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा एवं/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त राजस्थान राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/45/2023-एवीडी-II]

राजीव कुमार खरे, अवर सचिव

New Delhi, the 28th July, 2023

S.O. 1279.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan, issued vide Notification No.F.19(29)Home-5/2023 dated 15.06.2023, Home (Gr.-V) Department, Jaipur, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Rajasthan for investigation into the offence(s) punishable under section 120B r/w section 420 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by Act 16 of 2018) and section 163 r/w section 66 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), arising out of PEJAI2022A0004 registered at CBI, ACB, Jaipur pertaining to loading and transportation of Marble Powder in guise of Alum Powder through Indian Railways by M/s Vinayak Logistics, Guwahati, its proprietor Shri Pravesh Kabra, M/s Vinayak Logistics India Pvt. Ltd., Guwahati, its Director Shri Pravesh Kabra, unknown public servants and others for causing wrongful loss to the Indian Railways and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/45/2023-AVD-II]

RAJEEV KUMAR KHARE, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

का.आ. 1280.—केन्द्र सरकार एतद् द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उपधारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर राज्य सरकार के गृह विभाग, इम्फाल की अधिसूचना सं. एच-1701/224/2022-एचडी-एचडी, दिनांक 23.02.2023 के माध्यम से जारी सम्मति से, सेकमाई डाकघर के तहत कंगलाटोम्बी शाखा डाकघर (बीपीओ) से भारी मात्रा में धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धाराओं 409, 420 के तहत दंडनीय अपराधों के तहत दिनांक 22.06.2022 को सेकमाई पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत एफआईआर संख्या 34(6)2022 एसईके-पीएस से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त मणिपुर राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/18/2023-एवीडी-II]

राजीव कुमार खरे, अवर सचिव

New Delhi, the 31st July, 2023

S.O. 1280.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Manipur, issued vide Notification No.H-1701/224/2022-HD-HD dated 23.02.2023, Home Department, Imphal, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Manipur for investigation into the offence(s) relating to case FIR No. 34(6)2022 SEK-PS dated 22.06.2022 registered at Sekmai Police Station, under sections 409 and 420 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) pertaining to misappropriation of huge money from Kanglatombi Branch Post Office (BPO) under Sekmai Post Office and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/18/2023-AVD-II]

RAJEEV KUMAR KHARE, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

का.आ. 1281.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार **मेसर्स उदयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड** के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और **श्री रामपाल, कर्मकार** के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट **औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा, पंचाट (रिफरेन्स न.-10/2018)** को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 09.08.2023 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/10/2018-आईआर(एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 9th August, 2023

S.O. 1281.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award **(Ref. No. 10/2018)** of the **Industrial Tribunal cum Labour Court, Bhilwada** as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to **M/s Udaipur Mineral Development Syndicate Private Limited** and **Shri Rampal, Workman** which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 09.08.2023.

[No. L-29011/10/2018-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

अनुलग्नक

औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा ::

पीठासीन अधिकारीः **श्री सुशील कुमार शर्मा,**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या : 10 सन् 2018

श्री रामपाल पुत्र श्री बंशीलाल पाराशर,निवासी–
सरथला, पो0–सरथला,तह0–मांडलगढ,जिला–भीलवाडा।

द्वारा– श्री प्रभाष चौधरी,प्रदेश उपाध्यक्ष,भारतीय मजदूर संघ
11/97, नई शाम की सब्जी मंडी,भूपालगंज,भीलवाडा।

..प्रार्थी

: बनाम :

प्रबंधक,मै0 उदयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा0लि0
चितौड रोड,भीलवाडा।

..विपक्षी

उपस्थित :

श्री प्रभाष चौधरी, प्रतिनिधि–प्रार्थी की ओर से।
श्री आर.सी.चेचाणी,अधिवक्ता–विपक्षी की ओर से।.

:: पंचाट :: दिनांक : 11.5.2023

प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध अभिलेख में उसकी सही जन्म तिथि दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में अपना विवाद केन्द्रीय सुलह अधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश किया, जहां कोई समझौता नहीं होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांकः एल–29011/10/2018–IR[M] दिनांक 30.10.2018 के द्वारा निम्न विवाद इस न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया–

"Whether the alleged amendment in date of birth as 05.05.1961 sought vide letter dated 02.02.2018 by Shri Rampal S/o Shri Bansilal Parashar,Trip Counter in Chenpura Mines under the management of M/s Udaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd., Bhilwara at the fag end of the retirement is proper,legal and justified? if yes,to what reliefs the workman are entitled?"

उपरोक्तानुसार विवाद प्राप्त होने पर पक्षकारों को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि उसे विपक्षी ने संस्थान की चैनपुरा माईन्स पर ट्रीप काउन्टर के पद पर बतौर श्रमिक दिनांक 1.7.1980 को नियोजित किया। नियोजित करते समय विपक्षी ने उससे उम्र व शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र रिकार्ड पर लिये थे तथा नियोजन से पूर्व विपक्षी ने फार्म–बी के निर्धारित खाली प्रपत्र पर यह कहकर दस्तखत करवाये कि इसमें वांछित सूचना भरी जानी है, उक्त प्रपत्र को विपक्षी के प्रतिनिधि ने भरा तथा इस दौरान उसकी जन्म तिथि 5.5.1961 की बजाय 9.4.1960 दर्ज कर दी गई। इस प्रकार विपक्षी द्वारा प्रार्थी की उम्र 20 वर्ष होते हुए भी अभिलेख फार्म–बी में उम्र 21 वर्ष अंकित कर दी गई। प्रार्थी ने नियोजन के दौरान विपक्षी संस्थान में दो बार क्रमशः दिनांक 6.12.1989 व 1.4.1992 को प्रार्थी से संबंधित उम्र व शैक्षणिक योग्यता सबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिये, लेकिन फिर भी विपक्षी ने जन्म तिथि में संशोधन नहीं किया। इस बारे में उसने विपक्षी को कई बार निवेदन किया। जन्म तिथि में संशोधन नहीं करने से प्रार्थी अपनी निर्धारित आयु 58 वर्ष पूरी करने की तिथि 4.5.2019 से पूर्व ही 8.4.2018 को सेवानिवृत कर दिया। संस्थान में कार्यरत गोपी बलाई, रतनलाल, श्यामलाल, जगदीश, गोपाल, रामलाल की जन्म तिथियों में विपक्षी द्वारा परिवर्तन किया है, लेकिन उसकी जन्म तिथि में परिवर्तन नहीं किया गया। प्रार्थी ने उसकी वास्तविक जन्म तिथि 5.5.1961 को अभिलेख में दर्ज करवाने व उक्त तिथि के आधार पर ही सेवानिवृत करवाने की प्रार्थना की।

विपक्षी की ओर से जवाब पेश कर जाहिर किया गया कि प्रार्थी को प्रत्येक माह पे–स्लीप दी जाती है, जिसमें जन्म तिथि अंकित होती है। प्रार्थी समय रहते प्रार्थनापत्र पेश कर सकता था, लेकिन अब जबकि उसकी सेवानिवृति निकट है वह जन्म तिथि में संशोधन करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। मदवार जवाब देते हुए जाहिर किया गया कि प्रार्थी का नियोजन दिनांक 1.7.1980 को बेलदार के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके द्वारा सदैव सामान्य श्रेणी का कार्य ही किया जाता था। नियुक्ति के पूर्व प्रार्थी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र जमा नहीं कराये थे। प्रार्थी ने आज दिनांक तक अपने कोई भी दस्तावोज विपक्षी के यहां जमा नहीं करवाये। विपक्षी ने फार्म–बी के खाली प्रपत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं लिये तथा उक्त प्रपत्र प्रार्थी के सामने उससे पूछताछ करके ही भरा गया तथा उस समय प्रार्थी ने अपनी उम्र 22 वर्ष बताई थी, न कि जन्म तिथि 5.5.1961 बताई। प्रार्थी पढना–लिखना जानता था इसलिए उसके ब्रीफ बायोडाटा फॉर्म में साक्षर अंकित है,जो कि दिनांक 18.1.1993 को भरा गया था। फार्म–बी में दर्ज प्रार्थी की उम्र के संबंध में प्रार्थी स्वयं ही जिम्मेदार है। प्रार्थी से दिनांक 18.1.1993 को एम्पलोईज ब्रीफ बायो–डाटा फॉर्म भरवाया गया,जिसमें प्रार्थी ने अपनी जन्म तिथि 9.4.1960 दर्ज की है,जिससे प्रार्थी की जन्म तिथि 9.4.1960 मानते हुए उसे दिनाक 8.4.2018 को सेवानिवृत किया जा चुका है। जब प्रार्थी एक बार अपने फॉर्म–बी में भरी गई जन्म तिथि को गलत बताकर दुरूस्त करवा चुका है तो पुनः उसकी जन्म तिथि को बदलने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी संस्थान एवं खान मजदूर कांग्रेस के मध्य दिनाक 7.3.2013 को समझौता सम्पन्न हुआ जिसके अनुसार जिन भी श्रमिकों की जन्म तिथि को लेकर विवाद है, वे समस्त श्रमिक दिनांक 31.3.2013 तक अपनी जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज मय प्रार्थनापत्र सस्थान में प्रस्तुत कर जन्म तिथि दुरूस्त करवा सकेंगे, लेकिन प्रार्थी द्वारा उचित समय में कोई पत्राचार नहीं किया गया तो ऐसे में प्रार्थी के पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में स्वयं प्रार्थी ए ड 1 रामपाल पाराशर के शपथ पत्र पर बयान दर्ज करवाये गये ।

विपक्षी की ओर से एन ए ड 1 लक्ष्मीनारायण के बयान शपथपत्र पर दर्ज करवाये गये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान प्रार्थी प्रतिनिधि ने क्लेम प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वांछित अनुतोष दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थी की ओर से अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये गये–

1. 2008 (119) एफ एल आर पेज 808 (एस.सी.) मोहम्मद युनुस खान बनाम यू.पी.पावर कॉर्पोरेशन लि0 व अन्य
2. 2023 (176) एफ एल आर पेज 648 (इलाहाबाद) सुब्रमण्यम बनाम स्टेट आफ यू.पी

इसके विपरीत विपक्षी के अधिवक्ता ने भी अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए क्लेम प्रार्थनापत्र खारिज करने की प्रार्थना की। अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये–

1. सिविल अपील नं0 1009 / 2020 (एस.सी.) भारत कुकिंग कोल लि0 बनाम श्याम किशोर

2. रिटया चिका सं0 5515 / 2014 (मद्रास) पी.सुंदरराज बनाम तमिलनाडु राज्य

3. एस.सी.ए /21293 / 2017 (गुजरात) भगवती बेन तेजूमल बनाम उत्तर गुजरात वी.आई.जे. कं0 लि0

4. एस.ए. नं0 244 / 2003 (झारखंड) सेन्ट्रल कोलफिल्ड लि0 बनाम ब्रह्मदेव सिंह

हमनें संपूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया और विचार किया।

हस्तगत मामले में प्रार्थी रामपाल ने अपने अभिवचनो व अपने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसे नियोजित करते समय विपक्षी ने उससे उम्र व शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र रिकार्ड पर लिये थे तथा नियोजन से पूर्व विपक्षी ने फॉर्म–बी के खाली प्रपत्र पर यह कहकर दस्तखत करवाये कि इसमें वांछित सूचना भरी जानी है, उक्त प्रपत्र को विपक्षी के प्रतिनिधि ने भरा तथा इस दौरान उसकी जन्म तिथि 5.5.1961 की बजाय 9.4.1960 दर्ज कर दी गई तथा उसके द्वारा कई बार निवेदन करने के बावजूद भी उसमें सुधार नहीं किया गया, जबकि विपक्षी ने अपने जवाब में किये गये अभिवचनो में उक्त तथ्य का पूरी तरह से खंडन करते हुए कहा कि नियुक्ति के पूर्व प्रार्थी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र जमा नहीं कराये थे। प्रार्थी ने आज दिनांक तक अपने कोई भी दस्तावेज विपक्षी के यहां जमा नहीं करवाये। विपक्षी ने फॉर्म–बी के खाली प्रपत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं लिये तथा उक्त प्रपत्र प्रार्थी के सामने उससे पूछताछ करके ही भरा गया था तथा उस समय प्रार्थी ने अपनी उम्र 22 वर्ष बताई थी, न कि जन्म तिथि 5.5.1961 बताई । इस बारे में विपक्षी की ओर से की गई जिरह में प्रार्थी ए ड 1 रामपाल ने विपक्षी के इस सुझाव को गलत बताया कि उसने उसकी उम्र अनुमान से 22 वर्ष लिखवाई हो। आगे जिरह में प्रार्थी ने यह कहा है कि यह सही है कि मैंने प्रदर्श 2 टी.सी. सर्वप्रथम दिनांक 1.12.2017 को दी। इस गवाह ने आगे जिरह में यह भी कहा है कि यह सही है कि मेरे फॉर्म –बी में अंकित जन्म तिथि के हिसाब से उसे दिनांक 8.4. 2018 को सेवानिवृत कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी रामपाल से विपक्षी द्वारा की गई जिरह से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपनी उम्र के संबंध में प्रमाण प्रदर्श 2 टी.सी. सर्वप्रथम दिनांक 1.12.2017 को ही विपक्षी के यहां पेश कर दी थी तथा उसे फॉर्म –बी में अंकित जन्म तिथि के अनुसार दिनांक 8.4.2018 को सेवानिवृत कर दिया गया है। प्रार्थी ने अपने अभिवचनो व अपनी साक्ष्य में ऐसे श्रमिकों के नाम भी बताये हैं जिनकी जन्म तिथियों में विपक्षी द्वारा संशोधन किया गया, जिस बारे में विपक्षी की ओर से की गई जिरह में प्रार्थी रामपाल ने यह कहा है कि यह मेरी जानकारी में नहीं है कि प्रदर्श 4 लगायत प्रदर्श 11 के श्रमिकों ने 31.3.2013 से पूर्व अपनी जन्म तिथि में संशोधन कराने बाबत दस्तावेज कंपनी में दिये हों, जिसके आधार पर उनकी जन्म तिथि में संशोधन किया गया हो, लेकिन स्वयं विपक्षी के अभिवचनो से ही विपक्षी के द्वारा कुछ श्रमिकों की जन्म तिथियों में संशोधन करना साबित होता है, लेकिन प्रार्थी की जन्म तिथि में संशोधन नहीं किया गया, जिसका कारण यह बताया गया कि विपक्षी संस्थान एवं खान मजदूर कांग्रेस के मध्य दिनाक 7.3.2013 को समझौता सम्पन्न हुआ, जिसके अनुसार जिन भी श्रमिकों की जन्म तिथि को लेकर विवाद है, वे समस्त श्रमिक दिनांक 31.3.2013 तक अपनी जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज मय प्रार्थनापत्र सस्थान में प्रस्तुत कर जन्म तिथि दुरूस्त करवा सकेंगे, लेकिन प्रार्थी द्वारा उचित समय में कोई पत्राचार नहीं किया गया तो ऐसे में प्रार्थी के पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इस बारे में प्रार्थी रामपाल से की गई जिरह के दौरान प्रार्थी ने इस तथ्य को सही बताया कि उसने प्रदर्श 2 टी.सी. सर्वप्रथम दिनांक 1.12.2017 को दी थी अज खुद कहा कि जब कंपनी ने मांगी मैंने दे दी। स्वयं विपक्षी के गवाह एन ए ड 1 लक्ष्मी नारायण ने भी जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि रामपाल पाराशर ने भर्ती के समय अपनी जन्म तारीख का कोई प्रमाणपत्र व दस्तावेज नहीं दिया था। आगे जिरह में इस गवाह ने यह भी कहा कि भर्ती मैनेजर साहब करते हैं, मैनेजर साहब ही कर्मचारी के बताये अनुसार जन्म तिथि लिखते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी की ओर से विपक्षी को प्रदर्श 1 जन्म तिथि में सुधार के बारे में प्रार्थनापत्र व टी.सी. की प्रति प्रदर्श 2 दी गई है, जिन्हें प्राप्त हो जाना स्वयं विपक्षी गवाह एन ए ड 1 लक्ष्मीनारायण ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है तथा प्रदर्श 8 लगायत प्रदर्श 15 तक के श्रमिकों की जन्म तारीख में परिवर्तन बी–फार्म में करने के तथ्य को भी विपक्षी के इस गवाह ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। विपक्षी के इस गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह सही है कि स्कूल की मार्कशीट या टी.सी. में लिखी जन्म तारीख ही प्रमाणित मानी जाती है। इस गवाह ने स्थाई आदेश में जन्म तारीख का प्रमाणपत्र पेश करने करना लिखा होना भी स्वीकार किया। आगे इस गवाह ने जिरह में गोपी व अन्य श्रमिकों की जन्म तारीखों में श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत अंकतालिकाओं के आधार पर परिर्वतन करना भी स्वीकार किया है।

इस प्रकार समग्र साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि विपक्षी के द्वारा प्रार्थी के साथ असमानता का व्यवहार करके अन्य श्रमिकों की जन्म तिथियों में संशोधन किया गया है, लेकिन प्रार्थी की जन्म तिथि में सेवा निवृति से काफी समय पूर्व दिये गये प्रार्थनापत्र व टी.सी. की प्रति के बावजूद भी संशोधन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जन्म तिथि में संशोधन नहीं करने को किसी भी सूरत में उचित एवं वैध नहीं माना जा सकता है।

मेरे उक्त मत को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों 2008 (119) एफ एल आर पेज 808 (एस.सी.) मोहम्मद युनुस खान बनाम यू.पी.पावर कॉर्पोरेशन लि0 व अन्य तथा 2023 (176) एफ एल आर पेज 648 (इलाहाबाद) सुब्रमण्यम बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. से भी बल मिलता है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों वाले मामलों में संबंधित प्रार्थी की ओर से सेवानिवृति से पूर्व ही दसवीं की अंकतालिका व प्रार्थनापत्र जन्म तिथि में संशोधन बाबत पेश कर दिया गया था। उक्त मामलों में मान0 उच्चतम न्यायालय व मान0 उच्च न्यायालय द्वारा दसवीं की अंकतालिका के आधार पर जन्म तिथि में संशोधन करने को न्यायोचित माना। उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत मामले में पूरी तरह से लागू होते हैं क्योंकि इस मामले में भी प्रार्थी ने सेवानिवृति से

काफी समय पूर्व ही अपनी जन्म तिथि में संशोधन कराने के संबंध में विपक्षी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन फिर भी विपक्षी ने संशोधन नहीं किया, जिसे किसी भी तरह से न्यायाचित नहीं माना जा सकता है।

विपक्षी की ओर से प्रस्तत न्यायिक दृष्टांत सिविल अपील नं0 1009/ 2020 (एस.सी.) भारत कुकिंग कोल लि0 बनाम श्यामकिशोर वाले मामले को मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहकर खारिज किया गया था कि जन्म तिथि में संशोधन बाबत प्रार्थनापत्र सेवानिवृति के चार साल बाद पेश किया गया था और कोई भी विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, लेकिन हस्तगत मामले में सेवा निवृति की तिथि से काफी समय पूर्व ही प्रार्थी द्वारा जन्म तिथि में संशोधन कराने के संबंध में विपक्षी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, अतः तथ्यात्मक भिन्नता के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत मामले में लागू नहीं होता है।

विपक्षी की ओर से ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत रिट याचिका सं0 5515/ 2014 (मद्रास) पी.सुंदरराज बनाम तमिलनाडु राज्य, एस.सी.ए /21293/ 2017 (गुजरात) भगवती बेन तेजूमल बनाम उत्तर गुजरात वी.आई.जे. कं0 लि0 व एस.ए. नं0 244/ 2003 (झारखंड) सेन्ट्रल कोलफिल्ड लि0 बनाम ब्रह्मदेव सिंह वाले मामले भी तथ्यात्मक भिन्नता के कारण हस्तगत मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि उक्त तीनों न्यायिक दृष्टांत औद्योगिक विवाद अधि0 के तहत आने वाले मामलो से संबंधित नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रार्थी की जन्म तिथि 5.5.1961 अभिलेख में दर्ज नहीं करना व उसे दिनांक 8.4.2018 को सेवा निवृत करना उचित एवं वैध नहीं माना जा सकता है।

अब प्रश्न यह है कि प्रार्थी को क्या अनुतोष दिलाया जाये?

हस्तगत मामले में प्रार्थी दिनांक 8.4.2018 को ही सेवानिवृत हो चुका है तथा वह वर्तमान में सेवा में नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जन्म तिथि 5.5.1961 मानते हुए उसे सेवानिवृत करते समय देय वेतन की दर से देय वेतन की 25 प्रतिशत राशि दिलाई जाना उचित है।

अतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित विवाद का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि प्रार्थी श्री रामपाल पुत्र श्री बंशीलाल पाराशर को विपक्षी प्रबंधक,मै0 उदयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा0लि0 ,भीलवाडा द्वारा उसकी जन्म तिथि 5.5.1961 के आधार पर सेवानिवृत नहीं करना उचित एवं वैध नहीं है।

प्रार्थी की जन्म तिथि 5.5.1961 मानते हुए उसे सेवा निवृत करने की तिथि 8.4.2018 से लेकर जन्म तिथि 5.5.1961 के आधार पर सेवा निवृत करने की तिथि तक तक की अवधि में उसे सेवानिवृत करते समय देय वेतन की दर से देय कुल वेतन की 25 प्रतिशत राशि पंचाट प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह के भीतर अदा की जाये।

पंचाट की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

सुशील कुमार शर्मा, न्यायाधीश

पंचाट आज दिनांक 11.5.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

का.आ. 1282.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार **मेसर्स गोलछा मिनरल डवलपमेंट सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड** के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और **श्री मुकुट दरोगा, कर्मकार** के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट **औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा, पंचाट (रिफरेन्स न.-12/2018)** को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 09.08.2023 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/9/2018-आईआर(एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 9th August, 2023

S.O. 1282.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award **(Ref. No. 12/2018)** of the **Industrial Tribunal cum Labour Court, Bhilwada** as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to **M/s Golcha Mineral Development Syndicate Private Limited** and **Shri Mukut Daroga, Workman** which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 09.08.2023.

[No. L-29011/9/2018-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

अनुलग्नक

औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा ::

पीठासीन अधिकारीः **श्री सुशील कुमार शर्मा,**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या : 12 सन् 2018

श्री मुकुट दरोगा पुत्र श्री गोकुल दरोगा,निवासी–
किशनगढ,पो0–बांकरा,तह0–जहाजपुर,जिला–भीलवाडा।
द्वारा–श्री प्रभाष चौधरी,प्रदेश उपाध्यक्ष,भारतीय मजदूर संघ
11/97, नई शाम की सब्जी मंडी,भूपालगंज,भीलवाडा।

..प्रार्थी

: बनाम :

प्रबंधक,मै0 गोलछा मिनरल्स प्रा0लि0,चितौड रोड,भीलवाडा।

..विपक्षी

उपस्थित :

श्री प्रभाष चौधरी, प्रतिनिधि–प्रार्थी की ओर से।
श्री आर.सी.चेचाणी,अधिवक्ता–विपक्षी की ओर से।.

पंचाट दिनांक : 11.5.2023

प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध अभिलेख में उसकी सही जन्म तिथि दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में अपना विवाद केन्द्रीय सुलह अधिकारी,अजमेर के समक्ष पेश किया, जहां कोई समझौता नहीं होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांकः एल–29011/9/2018–IR[M] दिनांक 29.10.2018 के द्वारा निम्न विवाद इस न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया–

"Whether the alleged amendment in date of birth as 03.02.1966 sought vide letter dated 26.10.2017 by Shri Mukut S/o Gokal Daroga,Miner in Kishangarh Mines under the management of M/s Golacha Minerals Pvt. Ltd., Bhilwara at the fag end of the retirement is proper,legal and justified? if yes,to what reliefs the workman are entitled?"

उपरोक्तानुसार विवाद प्राप्त होने पर पक्षकारों को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि उसे विपक्षी ने संस्थान की किशनगढ माईन्स पर माईनर के पद पर बतौर श्रमिक दिनांक 1.4.1985 को नियोजित किया। नियोजित करते समय विपक्षी ने उससे उम्र व शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र रिकार्ड पर लिये थे तथा नियोजन से पूर्व विपक्षी ने फार्म–बी के निर्धारित खाली प्रपत्र पर यह कहकर दस्तखत करवाये कि इसमें वांछित सूचना भरी जानी है, उक्त प्रपत्र को विपक्षी के प्रतिनिधि ने भरा तथा इस दौरान उसकी जन्म तिथि 3.2.1966 की बजाय 3.4.1963 दर्ज कर दी गई। इस प्रकार विपक्षी द्वारा प्रार्थी की उम्र 20 वर्ष होते हुए भी अभिलेख फार्म–बी में उम्र 23 वर्ष अंकित कर दी गई। प्रार्थी ने नियोजन के दौरान विपक्षी संस्थान में दो बार क्रमशः दिनांक 6.12.1989 व 1.4.1992 को उससे संबंधित उम्र व शैक्षणिक योग्यता सबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिये, लेकिन फिर भी विपक्षी ने जन्म तिथि में संशोधन नहीं किया। इस बारे में उसने विपक्षी को कई बार निवेदन भी किया। जन्म तिथि में संशोधन नहीं करने से प्रार्थी अपनी निर्धारित आयु 58 वर्ष पूरी करने की तिथि 3.2.2024 से पूर्व ही सेवानिवृत कर दिया जायेगा। संस्थान में कार्यरत गोपी बलाई, रतनलाल, श्यामलाल, जगदीश, गोपाल, रामलाल की जन्म तिथियों में विपक्षी द्वारा परिवर्तन किया है, लेकिन उसकी जन्म तिथि में परिवर्तन नहीं किया गया। प्रार्थी ने उसकी वास्तविक जन्म तिथि 3.2.1966 को अभिलेख में दर्ज करवाने व उक्त तिथि के आधार पर ही सेवानिवृत करवाने की प्रार्थना की।

विपक्षी की ओर से जवाब पेश कर जाहिर किया गया कि प्रार्थी को प्रत्येक माह पे–स्लीप दी जाती है, जिसमें जन्म तिथि अंकित होती है। प्रार्थी समय रहते प्रार्थनापत्र पेश कर सकता था, लेकिन अब जबकि उसकी सेवानिवृति निकट है वह जन्म तिथि में संशोधन करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। मदवार जवाब देते हुए जाहिर किया गया कि प्रार्थी के द्वारा सदैव सामान्य श्रेणी का कार्य ही किया जाता था। नियुक्ति के पूर्व प्रार्थी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र जमा नहीं कराये थे। प्रार्थी ने आज दिनांक तक अपने कोई भी दस्तावोज विपक्षी के यहां जमा नहीं करवाये। विपक्षी ने फार्म–बी के खाली प्रपत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं लिये तथा उक्त प्रपत्र प्रार्थी के सामने उससे पूछताछ करके ही भरा गया तथा उस समय प्रार्थी ने अपनी उम्र 23 वर्ष ही बताई थी, न कि जन्म तिथि 3.2.1966 बताई। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विपक्षी के यहां उसकी जन्म तिथि 3.4.1963 दर्ज है। प्रार्थी पढना–लिखना जानता था इसलिए उसके ब्रीफ बायोडाटा फॉर्म में साक्षर अंकित है, जो कि दिनांक 19.1.1993 को भरा गया था। फार्म–बी में दर्ज प्रार्थी की उम्र के संबंध में प्रार्थी स्वयं ही जिम्मेदार है। प्रार्थी से दिनांक 19.1.1993 को एम्पलोईज ब्रीफ बायोडाटा फॉर्म भरवाया गया,जिसमें प्रार्थी ने अपनी जन्म तिथि 1.4.1962 दर्ज की है, जिसके अनुसार प्रार्थी की उम्र नियोजन के समय 23 वर्ष होती है। जब प्रार्थी द्वारा वर्ष 1993 में अपनी जन्म दिनांक ब्रीफ बायोडाटा में अपने नियोजन के लगभग 8 वर्ष बाद भी वही जन्म दिनांक दर्ज करवाई है तो अब जन्म दिनांक बदलवाने का कोई औचित्य नहीं है। जब प्रार्थी एक बार अपने फॉर्म–बी में भरी गई जन्म तिथि को सही मानकर हस्ताक्षर कर चुका है तो उसकी जन्म

तिथि को बदलने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी संस्थान एवं खान मजदूर कांग्रेस के मध्य दिनाक 7.3.2013 को समझौता सम्पन्न हुआ, जिसके अनुसार जिन भी श्रमिकों की जन्म तिथि को लेकर विवाद है वो समस्त श्रमिक दिनांक 31.3.2013 तक अपनी जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज मय प्रार्थनापत्र सस्थान में प्रस्तुत कर जन्म तिथि दुरूस्त करवा सकेंगे, लेकिन प्रार्थी द्वारा उचित समय में कोई पत्राचार नहीं किया गया तो ऐसे में प्रार्थी के पत्रों पर कर्यवाही नहीं की जा सकती थी। क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में स्वयं प्रार्थी ए ड 1 मुकुट दरोगा के शपथ पत्र पर बयान दर्ज करवाये गये ।

विपक्षी की ओर से एन ए ड 1 लक्ष्मीनारायण के बयान शपथपत्र पर दर्ज करवाये गये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान प्रार्थी प्रतिनिधि ने क्लेम प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वांछित अनुतोष दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थी की ओर से अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये गये–

1. 2008 (119) एफ एल आर पेज 808 (एस.सी.) मोहम्मद युनुस खान बनाम यू.पी.पावर कॉर्पोरेशन लि0 व अन्य

2. 2023 (176) एफ एल आर पेज 648 (इलाहाबाद) सुब्रमण्यम बनाम स्टेट आफ यू.पी.

इसके विपरीत विपक्षी के अधिवक्ता ने भी अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए क्लेम प्रार्थनापत्र खारिज करने की प्रार्थना की। अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये–

1. सिविल अपील नं0 1009/ 2020 (एस.सी.) भारत कुकिंग कोल लि0 बनाम श्याम किशोर

2. रिटया चिका सं0 5515/ 2014 (मद्रास) पी.सुंदरराज बनाम तमिलनाडु राज्य

3. एस.सी.ए /21293/ 2017 (गुजरात) भगवती बेन तेजूमल बनाम उत्तर गुजरात वी.आई.जे. कं0 लि0

4. एस.ए. नं0 244/ 2003 (झारखंड) सेन्ट्रल कोलफिल्ड लि0 बनाम ब्रह्मदेव सिंह

हमनें संपूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया और विचार किया।

हस्तगत मामले में प्रार्थी मुकुद दरोगा ने अपने अभिवचनो व अपने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसे नियोजित करते समय विपक्षी ने उससे उम्र व शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र रिकार्ड पर लिये थे तथा नियोजन से पूर्व विपक्षी ने फॉर्म–बी के खाली प्रपत्र पर यह कहकर दस्तखत करवाये कि इसमें वांछित सूचना भरी जानी है, उक्त प्रपत्र को विपक्षी के प्रतितनिधि ने भरा तथा इस दौरान उसकी जन्म तिथि 3.2.1966 की बजाय 3.4.1963 दर्ज कर दी गई तथा उसके द्वारा कई बार निवेदन करने के बावजूद भी उसमें सुधार नहीं किया गया, जबकि विपक्षी ने अपने जवाब में किये गये अभिवचनो में उक्त तथ्य का पूरी तरह से खंडन करते हुए कहा कि नियुक्ति के पूर्व प्रार्थी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र जमा नहीं कराये थे। प्रार्थी ने आज दिनांक तक अपने कोई भी दस्तावेज विपक्षी के यहां जमा नहीं करवाये। विपक्षी ने फॉर्म–बी के खाली प्रपत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं लिये तथा उक्त प्रपत्र प्रार्थी के सामने उससे पूछताछ करके ही भरा गया था तथा उस समय प्रार्थी ने अपनी उम्र 23 वर्ष बताई थी, न कि जन्म तिथि 3.2.1966 बताई । इस बारे में विपक्षी की ओर से की गई जिरह में प्रार्थी ए ड 1 मुकुट दरोगा ने विपक्षी के इस सुझाव को गलत बताया कि उसने उसकी उम्र अनुमान से 23 वर्ष लिखवाई हो। प्रार्थी ने विपक्षी के इस सुझाव को भी गलत बताया कि उसे फॉर्म –बी भरने की दिनाक से ही उसमें लिखी जन्म तारीख की जानकारी हो। आगे जिरह में प्रार्थी ने यह कहा है कि यह सही है कि मैंने प्रदर्श 6 टी.सी. सर्वप्रथम दिनांक 9.10.2017 को दी। गवाह ने आगे जिरह में यह भी कहा है कि यह सही है कि मेरे फॉर्म –बी में अंकित जन्म तिथि के हिसाब से उसे दिनांक 31.3.2019 को सेवानिवृत कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी मुकुट दरोगा से विपक्षी द्वारा की गई जिरह से ही यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपनी उम्र के संबंध में प्रमाण प्रदर्श 6 टी.सी. सर्वप्रथम दिनांक 9.10.2017 को ही विपक्षी के यहां पेश कर दी थी तथा उसे फॉर्म –बी में अंकित जन्म तिथि के अनुसार दिनांक 31.3.2019 को सेवानिवृत कर दिया गया। प्रार्थी ने अपने अभिवचनो व अपनी साक्ष्य में ऐसे श्रमिकों के नाम भी बताये हैं जिनकी जन्म तिथियों में विपक्षी द्वारा संशोधन किया गया, जिस बारे में विपक्षी की ओर से की गई जिरह में प्रार्थी ने यह कहा है कि यह मेरी जानकारी में नहीं है कि प्रदर्श 8 लगायत प्रदर्श 15 के श्रमिकों ने 31.3.2013 से पूर्व अपनी जन्म तिथि में संशोधन कराने बाबत दस्तावेज कंपनी में दिये हों, जिसके आधार पर उनकी जन्म तिथि में संशोधन किया गया हो, लेकिन स्वयं विपक्षी के अभिवचनो से ही विपक्षी के द्वारा कुछ श्रमिकों की जन्म तिथियों में संशोधन करना साबित होता है, लेकिन प्रार्थी की जन्म तिथि में संशोधन नहीं किया गया, जिसका कारण यह बताया गया कि विपक्षी संस्थान एवं खान मजदूर कांग्रेस के मध्य दिनाक 7.3.2013 को समझौता सम्पन्न हुआ जिसके अनुसार जिन भी श्रमिकों की जन्म तिथि को लेकर विवाद है वो समस्त श्रमिक दिनांक 31.3.2013 तक अपनी जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज मय प्रार्थनापत्र सस्थान में प्रस्तुत कर जन्म तिथि दुरूस्त करवा सकेंगे, लेकिन प्रार्थी द्वारा उचित समय में कोई पत्राचार नहीं किया गया तो ऐसे में प्रार्थी के पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इस बारे में प्रार्थी से की गई जिरह के दौरान प्रार्थी ने इस तथ्य को सही बताया कि उसने प्रदर्श 6 टी.सी. सर्वप्रथम दिनांक 9.102017 को दी थी अज खुद कहा कि जब कंपनी ने मांगी मैंने दे दी। स्वयं विपक्षी के गवाह एन ए ड 1 लक्ष्मी नारायण ने भी जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मुकुट दरोगा एवं रामपाल पाराशर ने भर्ती के समय अपनी जन्म तारीख का कोई प्रमाणपत्र व दस्तावेज नहीं दिया था। आगे जिरह में इस गवाह ने यह भी कहा कि भर्ती मैनेजर साहब करते हैं, मैनेजर साहब

ही कर्मचारी के बताये अनुसार जन्म तिथि लिखते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी की ओर से विपक्षी को प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 6 जन्म तिथि में सुधार के बारे में प्रार्थनापत्र, शपथपत्र व टी.सी. दी गई है, जिन्हें प्राप्त हो जाना स्वयं विपक्षी गवाह एन ए ड 1 लक्ष्मीनारायण ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है तथा प्रदर्श 8 लगायत प्रदर्श 15 तक के श्रमिकों की जन्म तारीख में परिवर्तन बी–फार्म में करने के तथ्य को भी विपक्षी के इस गवाह ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। विपक्षी के इस गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह सही है कि स्कूल की मार्कशीट या टी.सी. में लिखी जन्म तारीख ही प्रमाणित मानी जाती है। इस गवाह ने स्थाई आदेश में जन्म तारीख का प्रमाणपत्र पेश करने करना लिखा होना भी स्वीकार किया। आगे इस गवाह ने जिरह में गोपी व अन्य श्रमिकों की जन्म तारीखों में श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत अंकतालिकाओं के आधार पर परिर्वतन करना भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

इस प्रकार समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि विपक्षी के द्वारा प्रार्थी के साथ असमानता का व्यवहार करके अन्य श्रमिकों की जन्म तिथियों में संशोधन किया गया है, लेकिन उसकी जन्म तिथि में सेवा निवृति से काफी समय पूर्व दिये गये प्रार्थनापत्रों के बावजूद भी संशोधन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जन्म तिथि में संशोधन नहीं करने को किसी भी सूरत में उचित नहीं माना जा सकता है।

मेरे उक्त मत को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों 2008 (119) एफ एल आर पेज 808 (एस.सी.) मोहम्मद युनुस खान बनाम यू.पी.पावर कॉर्पोरेशन लि0 व अन्य तथा 2023 (176) एफ एल आर पेज 648 (इलाहाबाद) सुब्रमण्यम बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.से भी बल मिलता है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों वाले मामलों में संबंधित प्रार्थी की ओर से सेवानिवृति से पूर्व ही दसवीं की अंकतालिका व प्रार्थनापत्र जन्म तिथि में संशोधन बाबत पेश कर दिया गया था। उक्त मामलों में मान0 उच्चतम न्यायालय व मान0 उच्च न्यायालय द्वारा दसवीं की अंकतालिका के आधार पर जन्म तिथि में संशोधन करने को न्यायोचित माना। मेरे विनम्र मत में उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत मामले में पूरी तरह से लागू होते हैं क्योंकि इस मामले में भी प्रार्थी ने सेवानिवृति से पूर्व ही जन्म तिथि में संशोधन के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन फिर भी विपक्षी ने संशोधन नहीं किया, जिसे किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

विपक्षी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सिविल अपील नं0 1009/ 2020 (एस.सी.) भारत कुकिंग कोल लि0 बनाम श्यामकिशोर वाले मामले को मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहकर खारिज किया गया था कि जन्म तिथि में संशोधन बाबत प्रार्थनापत्र सेवानिवृति के चार साल बाद पेश किया गया था और कोई भी विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, लेकिन हस्तगत मामले में सेवा निवृति की तिथि से काफी समय पूर्व ही प्रार्थी के द्वारा जन्म तिथि में संशोधन बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर देना साबित माना है, अतः तथ्यात्मक भिन्नता के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत मामले में लागू नहीं होता है।

विपक्षी की ओर से ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत रिट याचिका सं0 5515/ 2014 (मद्रास) पी.सुंदरराज बनाम तमिलनाडु राज्य, एस.सी.ए /21293/ 2017 (गुजरात) भगवती बेन तेजूमल बनाम उत्तर गुजरात वी.आई.जे. कं0 लि0 तथा एस.ए. नं0 244/ 2003 (झारखंड) सेन्ट्रल कोलफिल्ड लि0 बनाम ब्रह्मदेव सिंह वाले मामले भी तथ्यात्मक भिन्नता के कारण हस्तगत मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि उक्त तीनों न्यायिक दृष्टांत औद्योगिक विवाद अधि0 के तहत आने वाले मामलो से संबंधित नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रार्थी की जन्म तिथि 3.2.1966 अभिलेख में दर्ज नहीं करना उचित एवं वैध नहीं माना जा सकता है।

अब प्रश्न यह है कि प्रार्थी को क्या अनुतोष दिलाया जाये?

हस्तगत मामले में प्रार्थी को गलत जन्म तिथि के आधार पर दिनांक 31.3.2019 को ही सेवानिवृत किया जा चुका है तथा वह वर्तमान में सेवा में नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जन्म तिथि 3.2.1966 मानते हुए उसे सेवानिवृत करते समय देय वेतन की दर से देय वेतन की 25 प्रतिशत राशि दिलाई जाना उचित है।

अतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित विवाद का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि प्रार्थी श्री मुकुट पुत्र श्री गोकुल दरोगा को विपक्षी प्रबंधक मै0 गोलछा मिनरल्स प्रा.लि., भीलवाडा द्वारा उसकी जन्म तिथि 3.2.1966 के आधार पर सेवानिवृत नहीं करना उचित एवं वैध नहीं है।

प्रार्थी की जन्म तिथि 3.4.1963 मानते हुए उसे सेवा निवृत करने की तिथि 31.3.2019 से लेकर जन्म तिथि 3.2.1966 के आधार पर सेवा निवृत करने की तिथि तक की अवधि में उसे सेवानिवृत करते समय देय वेतन की दर से देय कुल वेतन की 25 प्रतिशत राशि पंचाट प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह के भीतर अदा की जाये।

पंचाट की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

सुशील कुमार शर्मा, न्यायाधीश

पंचाट आज दिनांक 11.5.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

का.आ. 1283.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार **ह्यूमन रिसोर्सेज, टाटा एआईजी लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली** के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और **श्री अनूप शंकर तिवारी, कानपुर** के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, कानपुर, पंचाट (रिफरेन्स न.-78/2012)** को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 09.08.2023 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-17012/16/2012-आईआर(एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 9th August, 2023

S.O. 1283.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award **(Ref. No. 78/2012)** of the **Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Kanpur** as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to **Human Resources, TATA AIG Life insurance Company Limited, New Delhi** and **Sri Anoop Shanker Tiwari, Kanpur** which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 09.08.2023.

[No L-17012/16/2012-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT

KANPUR

PRESENT

SOMA SHEKHAR JENA

HJS (Retd.)

I.D. No. 78 of 2012

L-17012/16/2012-IR(M) dated 17.08.2012

BETWEEN

Shri Anoop Shanker Tiwari,

456/3, Shastri Nagar, Kanpur.

AND

The Vice President & Zonal Head,

Human Resources,

TATA AIG Life Insurance Company Ltd.,

III Floor, Unit No. 1, Plot No. 2, DDA Building, District Centre Nehru Place, New Delhi-110019.

Award

1. This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the Government of India, Ministry of Labour in letter No. **L-17012/16/2012-IR(M) dated 17.08.2012.**

> *"Whether the action of the management of TATA AIG Life Insurance Company Limited in terminating the services of Shri Anoop Shanker Tiwari w.e.f. 3/8/2010 is legal and justified? What relief the workman is entitled to?"*

2. Claimant Anoop Shankar Tiwari (hereinafter stated as the claimant) has filed the statement of claim with averments which may be concisely stated as hereafter:

Claimant joined the O.P. company on 19.05.2008 as sales manager. His duty was to promote sales and business of the O.P. company. It is averred by the claimant that he did continue to work till his illegal termination on 03.08.2010. He had rendered continuous work for 240 days during preceding one year prior to his termination. It is averred that his job was terminated by oral order without due compliance of the provisions under sections 25-F, 25-G, 25-H of the Industrial Disputes Act, 1947. He claims to be a workman under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. It is pleaded by the claimant that he was assigned with job which was neither managerial nor administrative. His job was not of supervisory capacity. It is stated that he was not paid notice pay in lieu of the one month notice required to be served under section 25-F of the ID Act.

Claimant has prayed for direction to the O.P.s to reinstate him in the job with full back wages and for continuity of services w.e.f. the date of oral termination 03.08.2010 along-with compensation and for subsisting wages.

3. O.P. side has submitted the written statement with averments which may be summarized as stated below:

The claimant was employed as the sales manager of its Kanpur office with monthly salary of Rupees 34,096/-. His job was administrative in nature and as such he was not a workman under section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. The claimant was employed to discharge managerial, administrative and supervisory work. He was assigned the work of exercising his supervisory control over his subordinates. He was vested with the responsibility of recommending promotion and confirmation of the subordinate staff. It is averred by the O.P.s that the claimant had remained absent from duty without any intimation to the employer company from 17.05.2010 onwards. On 28.05.2010 claimant submitted medical certificate and he was allowed to resume duty. It is stated by the O.P.s that the claimant failed to achieve the targets. In substance it is averred by the O.P.s that the performance of the claimant was not up to satisfaction and the management had to terminate his service by letter dated 01.07.2010 in accordance with the terms of his contract of employment.

4. In the rejoinder the claimant has reiterated his stand taken in the statement of claim.

For adjudication of this industrial dispute the following point is to be answered:

1. Whether Anoop Shankar Tiwari falls within the category of workman under the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter stated in short as the Act).

The claimant has challenged termination of his services with effect from 03.08.2010 by the O.P. management as illegal and the claimant claims to be a workman. Claimant in his statement of claim has submitted that he was appointed by the erstwhile company as a sales manager with effect from 19.05.2008. He has pleaded that he was employed to do the work of a sales promotion employee. The stand of the claimant is that his termination w.e.f. 03.08.2010 was in violation of the provisions enshrined in section 25-F, 25-G and 25-H of the ID Act. In course of hearing of this industrial dispute attention of the Tribunal was drawn to documents at paper no. 19/4, 19/5, 19/6. These documents filed by the O.P. management have been admitted by the claimant workman and as such the said documents with the contents therein can be admitted into evidence as uncontroverted documents with uncontroverted contents. From a cumulative reading of the contents of the said documents it is crystal clear that the claimant appointed as sales manager was entrusted with the duty of recruiting business associates and the claimant had made the recommendation for recruiting Mr. Irshad Alam as a Tata AIG Life Insurance Company Ltd. Advisor. The aforesaid documents clearly prove that the assignment of the claimant was not mere sales promotion work but he was assigned with the task of recruiting other workers and such work of recruiting the persons clearly kept the claimant away from the category of workman enshrined in section 2(s) of the ID Act, 1947. Since the aforesaid unchallenged documents prove that a claimant was employed mainly in a managerial or administrative capacity he was not a workman and the dispute raised by him challenging his termination with effect from 03.08.2010 cannot be industrial dispute.

The answer to this point goes against the claimant.

2. Since the claimant is not a workman as held in the foregoing paragraph, effect of his termination without notice or notice pay will amount to mere academic discussion which may not be relevant in this proceeding. The terms of the contract of appointment of the claimant may confer civil rights on the claimant but since the claimant is not a workman jurisdiction of this Tribunal to consider legality of his termination w.e.f. 03.08.2010 stands ousted.

In view of the nature of dispute claimant is not entitled to get any relief in this proceeding.

Parties are left to bear their respective costs.

SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

का.आ. 1284.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार **नई इंडिया असुरेन्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर नगर** के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और **श्री पुरेंद्र चटर्जी, उन्नाव** के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, कानपुर, पंचाट (रिफरेन्स न.-95/2018)** को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 09.08.2023 को प्राप्त हुआ था।

[सं. जेड -16025/04/2023-आईआर(एम)-59]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 9th August, 2023

S.O. 1284.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award **(Ref. No. 95/2018)** of the **Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Kanpur** as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to **The New India Assurance Company Limited, Kanpur Nagar** and **Sri Purendra Chatterjee, Unnao** which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 09.08.2023.

[No. Z-16025/04/2023-IR(M)-59]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT

KANPUR

PRESENT

SOMA SHEKHAR JENA

HJS (Retd.)

I.D. No. 95 of 2018

BETWEEN

Purendra Chatterjee S/o Shri Santosh Kumar Chatterjee

2/62, Indra Nagar, Shuklahganj, District Unnao.

AND

1. Manager, The New India Assurance Co. Ltd., 53/2 Mall Road, R.N. Chamber, Kanpur Nagar.
2. Regional Manager, The New India Assurance Co. Ltd., 15/60 Civil Lines, Kanpur Nagar.

Award

This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on 26.10.2018.

The averments of the claimant workman may be concisely stated as hereafter:

Claimant workman was recruited by the management no. 1 on the post of peon in the year 1983 in the month of January. Claimant workman worked continuously for the management. Even claimant workman worked overtime for the management but was never paid for overtime duty. Management took duty of 12 hours but paid wages which were much less than minimum wages. Claimant workman continuously raised the matter of wages for overtime but management in exasperation developed a malicious attitude towards the claimant workman. On 25.04.2018 O.P. management terminated the service of the claimant workman. Claimant workman was neither served with any notice before termination nor was paid wages for one month in lieu of notice nor was paid retrenchment nor gratuity compensation or any other benefit. At the time of termination the salary of the claimant workman was Rupees Seven Thousand Two Hundred which was less than minimum wages.

During the period of service served by the claimant workman there was no complaint or charge sheet against the claimant workman. The record of the claimant workman was unblemished. Hence it can corroborate that the act of

terminating the claimant workman was done with malicious intention. It is stated by the claimant workman that the termination was illegal and had been done in a wrongful manner. It is violation of Industrial Disputes Act, 1947. It is prayed by claimant workman to reinstate him in service with continuity with back wages and other benefits deemed fit in the eyes of the law.

The averments of the O.P. side are summarized as stated below:

The posts of class IV employees in the O.P. company are filled up by rigid selection procedure. The O.P. is a Public Sector Undertaking of the Government of India and there is no room for back door entry. In-directly it has been pleaded by O.P. management side that the claimant had not undergone any selection procedure and that no letter of appointment was issued in his favour and he was never paid monthly wages by the O.P.

In the rejoinder the claimant has reiterated his claim for reinstatement with continuity in job with back wages.

The following points are to be answered for adjudication of this industrial dispute:

1. Whether the termination of the claimant can be treated as illegal.
2. Whether the claimant is entitled for reinstatement with back wages.
3. To what other relief the claimant is entitled.

Point No. 1 & 2: The point no. 1 & 2 are taken up together for discussions for convenience. Though the claimant has averred in statement of claim that he was appointed in the post of class IV of the O.P. in course of cross-examination he has admitted that no advertisement was published. His deposition in course of cross-examination further reveals that he had never submitted any G form 17 before his engagement in insurance company and that he is unable to state his employee number and pay slip number and the exact date of his joining in January, 1983 and that he has not submitted any documents showing his PF membership and that no authority of the insurance company had issued any letter of appointment in any post of the insurance company.

He has admitted that the vouchers submitted by him were written by him. The self-serving documents are not of huge evidentiary worth.

The above stated depositions otherwise indicate that he was not appointed by the O.P. management by any regular selection process. His deposition that the vouchers submitted by him contained his hand writing otherwise makes the vouchers not totally reliable documents in support of his claim for reinstatement with regularization. It is clear from the deposition of the claimant that he has not submitted any paper showing that he had worked for two hundred forty days during the preceding twelve months prior to his disengagement. Such deposition of the claimant disentitles him the protection as per section 25-B of the Industrial Disputes Act, 1947. In other words the claimant fails to prove that he was in continuous service for not less than one year under the O.P. management and as such the claimant is not protected under section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. Since the claimant has failed to establish that before his termination he was entitled for the benefits flowing out of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 his termination cannot be held as illegal under the Industrial Disputes Act, 1947.

The above statement of the claimant in course of cross-examination weakens his claim for reinstatement or absorption in any permanent post.

In view of the case law Harinandan Prasad Vs. FCI Management pronounced by the Hon'ble Supreme Court of India the claimant petitioner is not entitled for reinstatement in the job under the O.P. management.

Both the above stated points are answered against the claimant.

Point No. 3: Though the claimant has raised the point that he was paid less than the minimum wages the claim of payment of minimum wages should have been raised before the proper Forum. Non-payment of wages for over-time has not been pressed with clear and cogent evidence. In other words the point of non-payment for over-time work has not been supported with adequate evidence**.** Since the claimant has failed to prove the number of days he had worked under the O.P. management within Twelve Calendar months prior to termination he is not entitled for any compensation.

In view of the foregoing discussions the reference is answered against the claimant. The claimant workman is not entitled of any of the reliefs claimed by him.

Parties are left to bear their respective costs.

SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

का.आ. 1285.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार **ग्रीन गैस लिमिटेड, लखनऊ; मेसर्स एम-फाइव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, मेहरौली** के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और **श्री सचिन उपाध्याय, लखनऊ** के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, लखनऊ, पंचाट (रिफरेन्स न.-100/2021)** को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 09.08.2023 को प्राप्त हुआ था।

[सं. जेड -16025/04/2023-आईआर(एम)-58]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 9th August, 2023

S.O. 1285.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award **(Ref. No. 100/2021)** of the **Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Lucknow** as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to **Green Gas Limited, Lucknow; M/s M-Five Security Private Limited, Mehrauli** and **Sri Sachin Upadhyay, Lucknow** which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 09.08.2023.

[No. Z-16025/04/2023-IR(M)-58]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM –LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT

JUSTICE ANIL KUMAR

PRESIDING OFFICER

I.D. 100/2021

Ref. No.-K-10/1-12/2021-IR dt. 22.10.2021

BETWEEN

1. Sri Sachin Upadhyay, C-2/291, Sector-F, Jankipuram Lucknow-226021

AND

1. The Managing Director, Green Gas Limited, Fortuna Tower, Second Floor, 10 Rana Marg, Lucknow-226001
2. The General Manager, M/s M-Five Security Private Limited, 126, Greenview Apartments, Mandi Road, Manglapuri, Mehrauli

AWARD

By order No. Ref. No.-K-10/1-12/2021-IR dt. 22.10.2021 present industrial dispute has been referred for adjudication to this Tribunal dispute, in exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub- Section (1) and sub-Section (2A) of Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government.

"Whether the action of management of Green Gas Limited, Lucknow in terminating the services of Shri Sachin Upadhyay, Marketting Assistant w.e.f. 01.06.2020 who was engaged through contractor M/s M-Five Security private Limited, is Legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?

Accordingly an industrial dispute No. 100/2021 has been registered.

From the perusal of record, the position which emerge out is that initially after registration of the case before this Tribunal notice was issued to claimant on 06.12.2021.

Thereafter several opportunities was given to him lastly on 31.01.2023 an order was passed by which last opportunity was given to claimant to file statement of claim and notice was sent to him.

On 09.06.2023 when the case was taken up for hearing in spite of notice, neither claimant/legal representative appeared nor claim statement was filed.

Accordingly I have heard Sri B.P. Singh learned counsel for respondent and perused on record.

Taking into consideration the fact that till date no statement of claim has been filed by the claimant in order to establish his claim as per the reference dated 22.10.2021

So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon'ble High Court in the case of V.K. Industries Vs. Labour Court (I) and others 1981 (29(FLR as under:-

> *"It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must fail. Whenever a workman raised a dispute challenging the validity of the termination of service if is imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to appear or to file written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government cannot be answered in favour of the workman and he would not be entitled to any relief".*

In the case of M/s Uptron powertronics Employees' Union, Ghaziabad through its Secretary V. Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon'ble Allahabad High Court has held as under:-

> "*The law has been settled by the Apex Court in case of Shankar Chakravarti Vs Britannia Biscuit Co. Ltd., V.K. Raj Industries V. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited Vs. State of U.P. and Ors. 1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of any evidence led by or on behalf of the workman reference is bound to be answered by the Court against the workman. In such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish and allegation made by a party is on the party making the allegation. The test would be, who would fail if no evidence is led."*

And by the Hon'ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee U.P. P.A. C.C.S.C. Services V. Secretary-cum- G.M. District Co-Operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held as under:-

> "*The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed".*

As the workman had not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is liable to be dismissed.

For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief:-

Lucknow Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer

Date: 11.07.2023

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

का.आ. 1286.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार **लाइफ इन्सुरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया** के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और **श्री डी. साईं बालाजी, वेस्ट गोदावरी** के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद, पंचाट (रिफरेन्स न.-105/2014)** को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 09.08.2023 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-17012/25/2014-आईआर(एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 9th August, 2023

S.O. 1286.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award **(Ref. No. 105/2014)** of the **Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad** as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to **Life Insurance Corporation of India** and **Sri D. Sai Balaji, West Godavari** which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 09.08.2023.

[No. L-17012/25/2014-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present: - **Sri IRFAN QAMAR**

Presiding Officer

Dated the 14th day of July, 2023

INDUSTRIAL DISPUTE No. 105/2014

Between:

Sri D. Sai Balaji,

S/o D. Venkateswara Rao,

D.No.5-208,

Kothapeta,

Dowleswaram

West Godavari Dist. 533215. .....Petitioner

AND

1. The Branch Manager,
   LIC of India,
   Rajahmundry Main Branch,
   Rajahmundry. E.G. Dist. A.P.
2. The Sr. Divisional Manager,
   LIC of India, Divisional Office,
   Jeevan Godavari, Morampudi,
   Rajahmundry. … Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Sri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Sri K. Rama Lingeswara Sarma, Advocate

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/ 25/2014-IR(M) dated 13.5.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Life Insurance Corporation of India and their workman. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the removal from service of Sri D. Sai Balaji, Ex.Temp. Class –IV, LIC of India, Rajahmundry Main Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified? If not, what other relief the workman is entitled to?"

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 105/2014 and notices were issued to the parties concerned and the Petitioner entered appearance.

2. Petitioner absent on the date fixed for filing of claim statement. Respondent present. Despite service of notice and sufficient opportunity provided to the Petitioner he did not file any claim statement till date. It seems that Petitioner do not want to pursue his case. Since the Petitioner has not substantiated his claim as per reference, a 'No Claim' award is passed. Transmit.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 14th day of July, 2023.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
NIL	NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.17 19:49:01 +05'30'